2013:CGHC:3103

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5593, वर्ष 2011

याचिकाकर्ता: गोविंद सिंह राजपूत

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री,

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से, अधिवक्ता सुश्री नौशीना अली।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से, पैनल अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव।

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 की ओर से, अधिवक्ता श्री आर.एस. मरहास एवं श्री ख.डी. गुरु।

आदेश (खुले न्यायालय में दिया गया**)**

(30 जनवरी, 2013 को पारित)

1. याचिकाकर्ता द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2011 (अनुलग्नक पी/1) और आदेश दिनांक 10.05.2011 (अनुलग्नक पी/2) की वैधानिकता और वैधता से असंतुष्ट हो कर उसे प्रश्नगत किया है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 27.12.2009 को घोषित परिणाम में नगर पंचायत, छुरीकला, जिला कोरबा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1961') की धारा 32-ख के प्रावधानों के तहत, याचिकाकर्ता को निर्वाचित अभ्यर्थी (अर्थात स्वयं याचिकाकर्ता) के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

2013:CGHC:3103

अधिसूचित अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा 10.02.2010 को उत्तरवादी क्रमांक 2 के पास जमा किया, जिसमें 13 दिनों का विलंब हुआ। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 26.02.2010 को एक कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक आर/2-2) प्राप्त हुआ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय (लेखाओं का संधारण और दाखिल करना) आदेश, 1997 (संक्षेप में 'आदेश') के खंड (10) के तहत जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्वाचन व्ययों के पूर्ण विवरण के साथ न तो कोई लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और न ही कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दाखिल किया।

3. निर्वाचन अधिकारी ने आदेश दिनांक 10.05.2011 (अनुलग्नक पी/2) के द्वारा यह निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता सहित सभी अभ्यर्थी, अधिनियम 1961 की धारा 32-क(1) के सह पठित धारा 32-ख के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं, और साथ ही दिनांक 26.02.2010 के कारण बताओ नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया है। तदनुसार, अधिनियम 1961 की धारा 32- ग(ख) के प्रावधानों के तहत, याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि यानी 10.05.2011 से चार साल और चार महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष पद धारण करने हेतु निरर्हित कर दिया गया। इसके पश्चात इसे 23.05.2011 को आधिकारिक राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.06.2011, 17.06.2011 और 02.08.2011 को अभ्यावेदन दिए। याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका डब्लू.पी.(सी) No. 4418/2011 भी दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि सुनवाई की तिथि 25.08.2011 तय की गई थी, हालांकि, याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए एक नई तिथि दी जानी चाहिए थी ताकि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सके। उक्त याचिका को याचिकाकर्ता की उपस्थिति हेतु सुनवाई की एक नई तिथि यानी 05.09.2011 देने के निर्देश के साथ निराकृत किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों और उनके द्वारा प्रस्तुत मामले पर विचार करने के उपरांत आगे की सुनवाई की तिथि पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने यह निर्धारित किया कि अधिनियम 1961 की धारा 32-घ के तहत दायर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का पात्र नहीं है। आदेश, 1997 के खंड (10) के प्रावधान के अनुसार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.06.2011 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कोई अभ्यावेदन, रिपोर्ट या जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, क्योंकि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा था और साथ ही, देरी से लेखा दाखिल करने के संबंध में विलंब क्षमा हेतु कारण बताओ नोटिस के जवाब में कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अली ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले ही निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल कर दिया था, इसलिए दिनांक 20.06.2011 के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना आवश्यक नहीं समझा गया और तदनुसार, न तो जवाब दाखिल किया गया और न ही कोई अभ्यावेदन दिया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने बिना कोई अवसर दिए 10.05.2011 को उनके मामले का एकपक्षीय निर्णय कर दिया और जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद धारण करने के लिए निरर्हित कर दिया। याचिकाकर्ता ने निरर्हता की अवधि कम करने के लिए अधिनियम 1961 की धारा 32-घ के तहत अभ्यावेदन दिया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने इस न्यायालय द्वारा डब्लू.पी.(सी) No. 4418/2011 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के अनुपालन में उपस्थिति का अवसर प्रदान किया, हालांकि, याचिकाकर्ता के मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया और आवेदन को खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. सुश्री अली द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि एक बार जब अधिनियम 1961 की धारा 32-क(1) के सह पठित धारा 32-ख के तहत आवश्यक निर्वाचन व्यय का लेखा अधिनियम, 1961 की धारा 32-क(1) के सह पठित धारा 32-ख के तहत आवश्यक निर्वाचन व्यय का लेखा, भले ही विलंब से दाखिल किया गया हो, उत्तरवादी क्रमांक 2 को उस पर विचार करना चाहिए था और निरर्हता के आदेश को हटाने का आदेश पारित करना चाहिए था। यह विलंब विधिक स्थिति की जानकारी न होने के कारण 'सद्भावनापूर्ण विश्वास' के चलते हुआ था।

6. सुश्री अली ने आगे तर्क दिया कि बाद में दिया गया नोटिस पूर्व-निर्धारित था और इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन दाखिल किया था जिस पर विधिवत विचार नहीं किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा का उद्देश्य अभ्यर्थी के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि चुनावी व्यय दाखिल करने में हुए विलंब

को क्षमा किया जाना चाहिए था। अपने तर्क के समर्थन में, वह विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करती हैं, जैसे: *आई.जे. राव, सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर एवं अन्य बनाम बिभूति भूषण बाग, मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली एवं अन्य, केनरा बैंक और अन्य बनाम देबाशीष दास और अन्य, विवेकानंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जे.एंड के. बैंक एवं अन्य, पंजाब राज्य और अन्य बनाम कांस्टेबल अवतार सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधि कु. पूनम एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण अनंतनाग एवं अन्य बनाम एमएसटी. कातिजी एवं अन्य, श्रीमती प्रभा बनाम रामप्रकाश कालरा, ओ.पी. कठपालिया बनाम लखमीर सिंह (मृत) एवं अन्य, अमृत लाल बेरी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क* कलेक्टर *अन्य, देव दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य, बिक्री कर आयुक्त एवं अन्य बनाम सुभाष एंड कंपनी, शंकर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम एम. प्रभाकर एवं अन्य, विजय कुमार कौल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य और रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ एवं अन्य।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया और तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 2 के पास विलंब को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, विशेष रूप से तब जब अधिनियम 1961 की धारा 32-ग (ख) के तहत आदेश पारित होने से पहले कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने विलंब क्षमा के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। यहाँ तक कि अधिनियम 1961 की धारा 32-घ के तहत बाद में दायर किए गए अभ्यावेदन में भी, 10.05.2011 के आदेश में पारित निरर्हता को हटाने या निरर्हता की अवधि को कम करने के लिए कोई उचित और तर्कपूर्ण कारण नहीं बताया गया है।

8. अधिनियम 1961 की धारा 32-क यह प्रावधान करती है कि अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से, निर्वाचन संबंधी उपगत या सब व्यय का पृथक और सही लेखा रखेगा, जो उसके नामांकन की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) के व्यय किया गया हो, ताकि अत्यधिक व्यय या राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्धारित राशि से अधिक व्यय को रोका जा सके।

9. अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख इस प्रकार है:

2013:CGHC:3103

"32-ख. [निर्वाचन व्यय के लेखे का दाखिल किया जाना] [पार्षद] के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा का सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।

10. अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग(क) यह प्रावधान करती है कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय और रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को आदेश की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के पार्षद या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने और रहने के लिए निरर्हित कर सकता है।

11. अधिनियम, 1961 की धारा 32-घ निरर्हता की अवधि को कम अथवा समाप्त करने का प्रावधान करती है, यदि धारा 32-ग के खंड (ख) के तहत पारित आदेश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाता है, तो लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए किसी भी निरर्हता को समाप्त किया जा सकता है या ऐसी किसी निरर्हता की अवधि को कम किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. आदेश, 1997 को अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया था। संदर्भ के लिए, आदेश, 1997 के खंड (10) को नीचे उद्धृत किया गया है:

"10. निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल किए जाने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और उस पर निर्वाचन आयुक्त का निर्णय:--

(1) निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के तुरंत बाद, यथासंभव, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्वाचन आयोग को एक रिपोर्ट भेजेंगे:-

(क) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम;

(ख) क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल कर दिया है और यदि हाँ, तो वह तिथि जिस पर ऐसा लेखा दाखिल किया गया है; तथा

2013:CGHC:3103

(ग) क्या उनकी राय में ऐसा लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और रीति से दाखिल किया गया है।

(2) यदि जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है, तो वह ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे को निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेंगे।

(3) उप-पैराग्राफ (1) में संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी उसकी एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर प्रकाशित करेंगे।

(4) उप-पैराग्राफ (1) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद, निर्वाचन आयोग उस पर विचार करेगा और यह निर्णय लेगा कि क्या कोई चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है।

(5) जहाँ निर्वाचन आयोग यह निर्णय लेता है कि कोई चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहा है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा अभ्यर्थी को यह कारण बताने के लिए कहेगा कि उसे इस विफलता के लिए म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1961 की धारा 14-सी या जैसा भी मामला हो, म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-सी के तहत अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए।

(6) कोई भी चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जिसे पैराग्राफ (5) के तहत कारण बताने के लिए बुलाया गया है, वह ऐसा नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इस मामले के संबंध में अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर सकता है, और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने अभ्यावेदन की एक प्रति अपने निर्वाचन व्यय के पूर्ण लेखा के साथ भेजेगा, यदि उसने पहले ऐसा लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी, इसे प्राप्त करने के पाँच दिनों के भीतर, अभ्यावेदन की प्रति और लेखा (यदि कोई हो), उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ, आगे की उचित कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि यदि कोई अभ्यर्थी अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय और रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहता है, तो आदेश के उप-खंड 10(5) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद, निर्वाचन आयोग लिखित नोटिस के माध्यम से अभ्यर्थी को कारण बताने के लिए बुलाएगा कि उसे अधिनियम 1961 की धारा 32-ग के प्रावधानों के तहत निरर्हित क्यों न घोषित किया जाए। चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, ऐसे नोटिस के 15 दिनों के भीतर, निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन और साथ में अपने निर्वाचन व्ययों का पूरा विवरण प्रस्तुत कर सकता है, यदि उसने पहले लेखा प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का पूरा विवरण जमा नहीं भी किया था, तो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को ऐसा नोटिस मिलने के 15 दिनों की अवधि के भीतर अभ्यावेदन के साथ उसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

14. नोटिस 20.06.2011 को जारी किया गया था। यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस कब प्राप्त हुआ। हालांकि, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। यह स्पष्ट करने के लिए कि उसने पहले ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जमा कर दिया था, हालांकि विलंब से। इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता को चार साल और चार महीने की अवधि के लिए निरर्हित करने वाला दिनांक 10.05.2011 का निर्णय न्यायसंगत, विधिक और उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सुश्री अली द्वारा इस न्यायालय के निर्णय '*श्रीमती पुष्पा साहू बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य*' पर जो भरोसा जताया गया है, वह उन तथ्यों पर आधारित है जहाँ निर्वाचित अभ्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन के साथ 15 दिनों की अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय का पूरा विवरण जमा कर दिया था और इस प्रकार, वह इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

16. '*हरि मोहन चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*' के मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, उसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि निर्वाचन व्यय का लेखा 15 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल कर दिया गया है, तो वह निरर्हित ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; यह भी इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

17. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों का परीक्षण किया है। यह पाया गया है कि कोई भी निर्णय याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं है, क्योंकि वे संबंधित मुद्दे और इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ता क्षेत्र की जनता द्वारा विधिवत निर्वाचित किया गया था और विलंब के तकनीकी आधार पर याचिकाकर्ता को हटाया नहीं जाना चाहिए था, खारिज किए जाने योग्य है। इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता ने आदेश के खंड 10(6) के तहत विलंब क्षमा के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था। याचिकाकर्ता ने इसके बाद किसी भी स्तर पर विलंब क्षमा के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया। याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण केवल तब दिया जब अधिनियम 1961 की धारा 32-ग(ख) के तहत 10.05.2011 (अनुलग्नक पी/2) को आदेश पारित हो चुका था। बाद में दिए गए स्पष्टीकरण का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. आक्षेपित आदेश दिनांक 08.09.2011 (अनुलग्नक पी/1) और दिनांक 10.05.2011 (अनुलग्नक पी/2) न्यायसंगत, विधिक और उचित हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, यह याचिका खारिज की जाती है।

20. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ajey Kumar Tiwari